

न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

पत्रावली संख्या 55 तारीख दायर 11-08-2020 दिनांक निर्णय 02-12-2020

उनवान

पोर्ट पटवारी दब्बा फिरोजपुर बनाम सुशीमा

आज पत्रावली मु. नायब तहसीलदार पेश हुई। उप./अनु. जवाब पेश किया/नहीं करना चाहता है।

मृत गैरसायल बन्द की जानी है। अतिक्रमी का.स. 207 र का नया कब्जा होना साबित होता है।

अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि-

गैरसायल श्रीमती सुशीमा पुत्र/पत्नी द्वाराम जीना

जाति मीना निवासी बावडी

को आराजी खसरा नं. 4, 5 रकबा 0.38 किस्म चरगाह वाके ग्राम


बावडी से बेदखल किया जाता है, तथा शरह लगान 2.38 की

50 गुणा में मु. 119 114 / र कायमी कराई जावें

TRA व पटवारी की पालनार्थ लिखा जावें।

फसल निलामी हेतु गिरदावर/कानूनगो को लिखा जावें।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2020-21
के पृष्ठ संख्या 68 पृ.चा. रू. 114/-
राशि कायम किये गये। रु. 1900/-
पि. 8
त. रा. लेखाकार


नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)